मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1996 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक ३ सितम्बर, १९९६ (भाद्र १२, १९१८)

समय १०.३० बजे दिन.

१. प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

२. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(१) **श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल,** सामान्य प्रशासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२३ (२) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अड़तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक १-४-९४ से दिनांक ३१-३-९५) पटल पर रखेंगे.

(२) **श्री प्रताप सिंह बघेल,** परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) की धारा २१ की उपधारा (३)-(१) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की-

(क) अधिसूचना क्रमांक एफ-४-१-९६-आठ, दिनांक ७ मार्च, १९९६, तथा
(ख) अधिसूचना क्रमांक एफ-४-४-९५-आठ, दिनांक २४ जुलाई, १९९६,

पटल पर रखेंगे.

(३) **श्री शिव नेताम,** वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (३) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का १५ वाँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष १९८९-९० पटल पर रखेंगे.

३. नियम १३८ (१) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(१) **श्री सोबरन सिंह मावई,** सदस्य, मुरैना जिले के विकास खंड कैलारस के अनेक ग्रामों में गन्ने की फसल पर कीड़ों का प्रकोप होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(२) **सर्वश्री मुनीराम साहू,** बृजमोहन अग्रवाल, बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के पंडरिया वनांचल में संक्रामक बीमारी फैलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

४. प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री परसराम धुर्वे, सभापति, प्राक्कलन समिति का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

५. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(१) **श्री बाबूलाल गौर,** सदस्य, रीवा जिले के देवतालाब-तेंदुआ मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(२) **श्री बच्चन नायक,** सदस्य, जबलपुर जिले के-

(क) ग्राम बसाड़ी में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने,
(ख) ग्राम चनहटी के कृषि मजदूरों को भूदान यज्ञ बोर्ड की जमीन पट्टे पर दिलाये जाने,
(ग) ग्राम मुडेहरा के अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों को कृषि योग्य वन भूमि पट्टे पर दिलाये जाने, तथा
(घ) ग्राम चाका के अनुसुचित जाति के काश्तकारों की जमीन अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने से बचाये जाने,

(३) **श्री झल्लूलाल तेकाम,** सदस्य, मण्डला जिले के-

(क) तवलपानी-मदनपुर सड़क की मरम्मत कराये जाने, तथा
(ख) सलवाह-अमरपुर मार्ग पर पुलिया बनाये जाने,

(४) **श्री रामपाल सिंह,** सदस्य, रायसेन जिले के-

(क) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुरा में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने,
(ख) शासकीय महाविद्यालय उदयपुरा के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने, तथा
(ग) कस्बा उदयपुरा में ३० बिस्तरों वाले चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने, एवं

(५) **श्री अमीन साय,** सदस्य, सरगुजा जिले के ग्राम कमारी में हाई स्कूल खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

६. आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य.

श्री कांतिलाल भूरिया, आदिम जाति कल्याण मंत्री, दिनांक २७ अप्रैल, १९९४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५ (क्रमांक ८२७६) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

७. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री रविन्द्र चौबे, राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९९६ (क्रमांक १८ सन् १९९६) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

८. नियम १३९ के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा.

१ घन्टा ३० मिनिट

प्रदेश में पेयजल की कमी एवं दूषित पेयजल से संक्रामक बीमारियां फैलने के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु होने के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सुरेन्द्र वर्मा, गिरिराज मण्डलोई, गोपाल परमार, नेमीचंद जैन, रणजीत सिंह गुणवान, घनश्याम पाटीदार, डॉ. गोविंद सिंह, सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, गोपीकृष्ण नेमा, रघुनन्दन शर्मा, प्रेम प्रकाश पाण्डेय, छत्रपति सिंह एवं बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्यगण चर्चा उठायेंगे.

९. शासकीय विधि विषयक कार्य.

३ घन्टे (शेष ४५ मिनिट)

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय विधेयक, १९९६ (क्रमांक ११ सन् १९९६) पर विचार किया जाय- चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

अशोक चतुर्वेदी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल.
दिनांक २ सितम्बर, १९९६.